

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(प्रभाग - अनुसंधान एवं विस्तार)

फोन: 0771-2512808

ई मेल: ccf-re.cg@gov.in

क्रमांक/अनु. एवं वि./ 294

नवा रायपुर, दिनांक 12/04/2023

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क कार्यालय,
भू-तल, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

विषय :- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एवं वन विभाग के अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के संचालन एवं वन विस्तार (Forest Extension) के संबंध में प्रति वनवृत्त में एम.एस.सी./बी.एस.सी. (वानिकी शास्त्र/फॉरेस्ट्री) योग्यताधारी व्यक्तियों को वन विस्तार सहायक के रूप में चयन करने के संबंध में आमंत्रण/विज्ञापन बाबत।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वर्तमान में अनेक हितग्राही मूलक योजना लागू किये जा रहे हैं। उक्त योजनाओं के संचालन, संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, योजनाओं के लाभ तथा पात्र हितग्राहियों के संबंध में वन विस्तार के माध्यम से हितग्राहियों/सामान्य जनता को जानकारी देने, क्षेत्रीय कर्मचारियों को सहयोग देने तथा वन विस्तार (Forest Extension) कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए प्रति वनवृत्त में 02-03 एम.एस.सी./बी.एस.सी. (वानिकी शास्त्र/फॉरेस्ट्री) योग्यताधारी व्यक्तियों को पारिश्रमिक दर (जॉबदर) पर वन विस्तार सहायक के रूप में चयन किये जाने हेतु आमंत्रण/विज्ञापन की सूचना प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्र एवं राष्ट्रीय स्तर के 01 समाचार पत्र में दिनांक 15.04.2023 को प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशन उपरांत देयक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 12/04/2023

पृ.क्रमांक/अनु. एवं वि./ 295

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक (मा.सं.वि./सू.प्रौ.) छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर।

2. उप वन संरक्षक, एफ.एम.आई.एस. वनमंडल अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.।

की ओर विज्ञापन डाक्यूमेंट की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया विज्ञापन डाक्यूमेंट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़,

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर (छ0ग0)

(शाखा-अनुसंधान एवं विस्तार)

फोन: 0771-2512808

ईमेल: ccf-re.cg@gov.in

Walk in Interview (चल साक्षात्कार)

—00—

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित अनेक हितग्राही मूलक योजना जैसे- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना इत्यादि योजनाओं के संचालन, संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, योजनाओं के लाभ तथा पात्र हितग्राहियों के संबंध में वन विस्तार के माध्यम से हितग्राहियों/सामान्य जनता को जानकारी देने, क्षेत्रीय कर्मचारियों को सहयोग देने तथा वन विस्तार (Forest Extension) कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए प्रति वनवृत्त में 02-03 एम.एस.सी./बी.एस.सी. (वानिकी शास्त्र/फॉरेस्ट्री) योग्यताधारी व्यक्तियों को पारिश्रमिक दर (जॉबदर) पर वन विस्तार सहायक के रूप में चयन करने हेतु दिनांक 08.05.2023 को ऑफ लाईन Walk in Interview (चल साक्षात्कार) का आयोजन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा एवं दुर्ग वृत्त में किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, पारिश्रमिक दर एवं आवश्यक आयु का विवरण निम्नानुसार है :-

Qualification	Emolument (पारिश्रमिक दर)	आयु सीमा
Essential Qualification : First Class M.Sc. in Forestry/ Agroforestry /Wildlife Science. Desirable Qualification : Working Knowledge of Computers (Microsoft Office) etc.	Rs. 920 per day Rs. 24,000/month- (Twenty Four Thousand) per month Maximum amount	01.01.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष
Essential Qualification : First Class B.Sc. in Forestry/ Agroforestry /Wildlife Science Desirable Qualification : Working Knowledge of Computers (Microsoft Office) etc.	Rs. 808 per day Rs. 21,000/month- (Twenty One Thousand) per month Maximum amount	

साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ, 01 पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति साथ नियत तिथी 08.05.2023 को प्रातः 10.00 बजे तक संबंधित मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईड www.cgforest.com पर अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आने-जाने का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़,

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर (छ0ग0)

(शाखा-अनुसंधान एवं विस्तार)

फोन: 0771-2512808

ईमेल: ccf-re.cg@gov.in

क्रमांक/अनु. एवं वि./ 268

नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)
छत्तीसगढ़

विषय :- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एवं वन विभाग के अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के संचालन एवं वन विस्तार (Forest Extension) के संबंध में प्रति वनवृत्त में एम.एस.सी./बी.एस.सी. (वानिकी शास्त्र/फॉरेस्ट्री) योग्यताधारी व्यक्तियों को वन विस्तार सहायक के रूप में चयन करने के संबंध में।

—00—

वन विभाग द्वारा वर्तमान में अनेक हितग्राही मूलक योजना लागू किये जा रहे हैं, जैसे- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त वन विभाग के कर्मचारियों को मालिक-मकबूज के प्रकरणों में भी कृषकों से निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। वन विभाग के विभिन्न योजनाएँ, उनका लाभ तथा पात्र हितग्राहियों के संबंध में वन विस्तार के माध्यम से हितग्राहियों/सामान्य जनता को जानकारी देना वन विभाग का दायित्व है। संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का भी निरंतर आवश्यकता रहती है। अतः इन सभी कारणों से क्षेत्रीय कर्मचारियों को सहयोग देने तथा वन विस्तार कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए प्रति वनवृत्त में 02-03 एम. एस.सी./बी.एस.सी. (वानिकी शास्त्र/फॉरेस्ट्री) योग्यताधारी व्यक्तियों को वन विस्तार सहायक के रूप में जॉबदर पर रखा जाना प्रस्तावित है।

फॉरेस्ट्रीय संकाय के एम.एस.सी./बी.एस.सी. योग्यताधारी व्यक्तियों को कार्य पर दैनिक/मासिक पारिश्रमिक पर रखने हेतु कार्य का स्वरूप, अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, दैनिक/मासिक पारिश्रमिक दर, कार्य पर रखने की प्रक्रिया, पारिश्रमिक भुगतान हेतु बजट का स्रोत, आवेदन का प्रारूप तथा वनवृत्तवार आवश्यक योग्यताधारी व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

1. कार्य का स्वरूप :-

- मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के संबंध में कृषकों को एवं संस्थाओं को जानकारी देना तथा अधिक से अधिक कृषक/संस्थाओं को हितग्राही के रूप में चयन करना।
- पूर्व में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के अंतर्गत रोपित क्षेत्रों का भ्रमण करना, योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना।
- मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को समय पर अनुदान की राशि का भुगतान सुनिश्चित करना तथा कीट एवं रोग से संबंधित समस्याओं का निराकरण हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

- d. हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत पूर्व में चयनित हितग्राहियों को रख-रखाव राशि का भुगतान सुनिश्चित करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- e. मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रोपित वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा हितग्राहियों को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान हेतु प्रयास करना।
- f. वन विभाग के अन्य योजनाओं के संबंध में जनता को जानकारी देना, हितग्राहियों का चयन करना तथा संपादित कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- g. मुख्य वन संरक्षक / वनमंडलाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्यों का संपादन करना।

2. शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) Essential Qualification : First Class M.Sc in Forestry/Agroforestry /Wildlife Science.
- (ii) Desirable Qualification : Working Knowledge of Computers (Microsoft Office) etc.
- (iii) Essential Qualification : First Class B.Sc in Forestry/Agroforestry /Wildlife Science
- (iv) Desirable Qualification : Working Knowledge of Computers (Microsoft Office) etc.

3. पारिश्रमिक (दैनिक/ मासिक) :-

वर्ष 2022 में कैम्पा प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर संपादित कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रति वनमंडल में वानिकी शास्त्र में बीएससी/एमएससी योग्यताधारी एक व्यक्ति का चयन किया गया था। पारिश्रमिक दर का निर्धारण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें संचालक बजट तथा क्षेत्रीय अधिकारी भी सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। ICFRE तथा UGC के SRF/JRF के पारिश्रमिक के आधार पर उक्त समिति द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पारिश्रमिक दर का निर्धारण किया गया है। वन विस्तार सहायक के रूप में कार्य संपादन के लिये भी इसी दर का भुगतान किया जाना है।

Qualification	Emolument (पारिश्रमिक दर)
Essential Qualification : First Class M.Sc. in Forestry/ Agroforestry /Wildlife Science. Desirable Qualification : Working Knowledge of Computers (Microsoft Office) etc.	Rs. 24,000/month- (Twenty Four Thousand) per month Maximum amount
Essential Qualification : First Class B.Sc. in Forestry/ Agroforestry /Wildlife Science Desirable Qualification : Working Knowledge of Computers (Microsoft Office) etc.	Rs. 21,000/month- (Twenty One Thousand) per month Maximum amount

एक माह में 26 दिवस की कार्यावधि के लिए उक्त तालिका अनुसार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एम.एस.सी.योग्यताधारी के लिए (24,000/- ÷ 26 दिवस) लगभग 920/- प्रति दिवस (अधिकतम 24,000/- प्रतिमाह) तथा बी.एस.सी.योग्यताधारी के लिए (21,000/- ÷ 26 दिवस) लगभग 808/- प्रति दिवस (अधिकतम 21,000/- प्रतिमाह) निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। ICFRE तथा UGC के SRF/JRF के पारिश्रमिक के आधार पर प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दर में वृद्धि की जावेगी।

4. कार्य पर रखने की प्रक्रिया

सभी वनवृत्तों में वन विस्तार सहायक के रूप में कार्य करने हेतु वानिकी संकाय में एम.एस.सी या बी.एस.सी. योग्यताधारी एवं अनुभवी युवक को कार्य पर रखने की अनुमति होगी। योग्य व्यक्ति के चयन हेतु वृत्त स्तर पर समिति गठन किया जाना है। योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए नियमानुसार चयन प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

- (i) वनवृत्त कार्यालय द्वारा प्रति वनवृत्त बिन्दु क्रमांक 07 के अनुसार आवश्यक वन विस्तार सहायक को जॉबदर पर रखा जायेगा।
- (ii) चयन की प्रक्रिया Walk in Interview (चल साक्षात्कार का आयोजन) के माध्यम से होगा।
- (iii) चयन के संबंध में स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करते हुये विभागीय वेबसाईट पर (www.cgforest.com) पर अपलोड करना है।
- (iv) साक्षात्कार एवं दस्तावेज परीक्षण हेतु प्रत्येक वन वृत्त में निम्नलिखित समिति गठित की जावे –
 - मुख्य वन संरक्षक – अध्यक्ष
 - वन वृत्त के वरिष्ठ वनमंडलाधिकारी – सदस्य
 - स्थानीय शासकीय महाविद्यालय के वानिकी/कृषि वानिकी/वन्यजीव विज्ञान संकाय के प्राध्यापक – सदस्य
- (v) शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान हेतु कुल 100 अंकों में से 80 अंक बीएससी/एमएससी में प्राप्त अंक प्रतिशत पर आधारित होंगे। (कुल प्राप्त प्रतिशत को 80 प्रतिशत से गुणा करने पर प्राप्त अंक को इसमें लिया जावेगा)। यदि आवेदक बीएससी के साथ-साथ एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तो 05 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। स्थानीय भाषा के जानकारी हेतु अधिकतम 05 अंक दिए जाएंगे तथा अधिकतम 10 अंक साक्षात्कार पर समिति द्वारा प्रदाय किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी का चयन एमएससी प्रथम श्रेणी के आधार पर हो रहा है, तो उसे अतिरिक्त 05 अंक प्रदाय नहीं किए जाएंगे।

5. पारिश्रमिक भुगतान का स्रोत

उपरोक्त व्यक्तियों को पारिश्रमिक का भुगतान मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के प्रावधान अंतर्गत किया जावेगा। इस योजना में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में प्रतिवर्ष प्रति पौधा रूपये 0.25 का प्रावधान कृषक सर्वेक्षण एवं तकनीकी सहायता हेतु रखा गया है जिससे वन विस्तार सहायकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार भी पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है।

6. कार्य पर रखने की अवधि

चयनित वन विस्तार सहायकों को एक वर्ष के लिये कार्य पर रखा जायेगा। उसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक स्तर पर सम्पादित कार्यों का आंकलन करते हुए यदि उनका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो और एक वर्ष के लिये, अधिकतम 05 वर्षों तक कार्य पर रखा जा सकता है। 05 वर्षों के पश्चात् (अप्रैल 2028) वन विस्तार सहायकों को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

7. एम.एस.सी./बी.एस.सी. (वानिकी संकाय) योग्यताधारी व्यक्तियों को जॉब दर पर कार्य पर रखने हेतु वनवृत्तवार स्वीकृत संख्या

क्र.	वृत्त का नाम	स्वीकृत संख्या
1	2	3
1	सरगुजा	03
2	जगदलपुर	03
3	रायपुर	02
4	बिलासपुर	02
5	कांकेर	02
6	दुर्ग	02
कुल योग :-		14

8. आवेदन का प्रारूप

आवेदन का प्रारूप संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार वन विस्तार सहायक के रूप में कार्य हेतु सरगुजा एवं जगदलपुर वन वृत्तों में 03-03 तथा अन्य वनवृत्तों में 02-02 व्यक्तियों को जॉबदर पर रखने के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।



(संजय शुक्ला) भा.व.से. 519/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/अनु, एवं वि./ 269


नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023

प्रतिलिपि:- समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं अनु. वि.), छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

**//वन विभाग में हितग्राही मूलक कार्यों में वन विस्तार सहायक के रूप में कार्य
संपादन हेतु (जॉब दर) आवेदन पत्र का प्रारूप//**



प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

(छ.ग.)

- आवेदित जॉब पद का प्रकार :- बी.एस.सी. या एम.एस.सी.
(फारेस्ट्री/एग्रो फारेस्ट्री/वाइल्ड लाईफ साईंस)
- वन मण्डल का नाम जिस हेतु:-
आवेदन किया जा रहा है
- 1. नाम :-
- 2. पिता का नाम :-
- 3. माता का नाम :-
- 4. जाति :-
- 5. लिंग(महिला/पुरुष) :-
- 6. जन्मतिथि (अंको में) :-
- जन्मतिथि (शब्दों में) :-
- 7. निवास जिला :-
- 8. स्थायी पता :-
- 9. वर्तमान/पत्र व्यवहार पता :-
- 10. ई-मेल :-
- 11. मोबाईल नम्बर :-
- 12. आधार नम्बर :-
- 13. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	वि.वि. का नाम	वर्ष	विषय	प्रतिशत

- 14. कम्प्यूटर दक्षता (हॉ/नहीं) :-
यदि हॉ तो प्रमाण पत्र की
सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।
- 15. क्या आप वर्तमान में कहीं और

कार्यरत् हैं ? यदि हॉ तो विवरण ?

16. कार्य अनुभव अगर हो तो :-
विवरण अनुभव प्रमाण पत्र सहित ।
17. स्व-प्रमाणित दस्तावेजो की सूची :-
.....
.....
.....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी/दस्तावेज पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा ।

स्थान :

दिनांक :

(अभ्यर्थी का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर)